



बीघा किता 7 कुल रकबा 18.13 बीघा में से वादी हिस्सा 1/3 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के सिद्धान्त पर विभाजन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार शाहावाद नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव पेश करें। निर्णय/प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार शाहावाद द्वारा निम्न विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं. - रकबा	भूमि वर्गीकरण	लगान
1-	मंगल पुत्र मदनलाल जाति काछी स.देह	22 - 3.02 बीघा पूर्वी	बा.तृ	1.39
		28 - 2.09 बीघा दक्षिणी	जाव-1	1.10
		162 - 0.12 बीघा सम्पूर्ण	चाही-1	1.68

किता 3 - कुल रकबा 6.04 बीघा 4.17

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं. - रकबा	भूमि वर्गीकरण	लगान
1-	भगवानलाल पुत्र उदयराज शिवजी पुत्र माना सुखिया पुत्री माना वगैरहा जाति काछी सा. देह	22 - 6.03 बीघा	बा.तृ	2.77
		28 - 4.19 बीघा	-	2.23
		160 - 0.08 बीघा	चाही	1.12
		168 - 0.02 बीघा	गै.मु. चाह	-
		169 - 0.02 बीघा	जाव-1	0.21
		170 - 0.15 बीघा	चाही-1	1.68

किता 6 - कुल रकबा 12.09 बीघा 8.29

उक्त विभाजन प्रस्ताव का उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा अवलोकन किया गया और कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम हनोतिया पटवार क्षेत्र बीलखेडामाल तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी ख.नं. 22 रकबा 9.05 बीघा, ख.नं. 28 रकबा 7.08 बीघा, ख.नं. 160 रकबा 0.08 बीघा, ख.नं. 162 रकबा 0.13 बीघा, ख.नं. 168 रकबा 0.02 बीघा, ख.नं. 169 रकबा 0.02 बीघा, ख.नं. 170 रकबा 0.15 बीघा किता 7 कुल रकबा 18.13 बीघा में से वादी हिस्सा 1/3 का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव उक्तानुसार विभाजन स्वीकार किया जाता है, तदनुसार रिकार्ड अमल हो। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। उक्तानुसार अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24.07.2024  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहावाद